



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)
कोनी-बिरकोना मार्ग , बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 210712
www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र. / 37 / अकादमी / 2019

बिलासपुर, दिनांक : 24/02/2019

प्रति ,

डा. पुष्कर दुबे

सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष प्रबंधन विभाग
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय-लघु शोध प्रस्ताव एवं अनुदान राशि स्वीकृति विषयक।

-----0-----

“कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमिनार/शोध कार्य अनुदान नियम, 2016” के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत लघु शोध प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। आपके लघु शोध प्रस्ताव के विषय -- “ **Management of technology enhanced learning in higher education: A study from students perspective in Chhattisgarh**” हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कुल ₹.2,76,000/- (दो लाख छिहत्तर हजार रुपये) की अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है। स्वीकृत राशि का आबंटन निम्नानुसार किया जायेगा --

कुल स्वीकृत राशि	
2,76,000	2,76,000

महत्वपूर्ण निर्देश --

1. उपर्युक्त अनुदान “कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमिनार/शोध कार्य अनुदान नियम, 2016” में उल्लेखित /संशोधित समस्त शर्तों व नियमों के अधीन होगा।
2. शोध कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक छः माह में विश्वविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

3. शोध कार्य की अवधि अधिकतम एक वर्ष छः माह की होगी जो कि जमा की गई प्रगति रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन के अधीन होगी।
4. शोध कार्य हेतु रिसर्च फ़ैलो की नियुक्ति व पात्रता विश्वविद्यालय नियमानुसार संचालित की जायेगी।
5. अनुदान राशि से कय कि गई स्थाई मद की वस्तुओं को शोध कार्य की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
6. शोध कार्य समापन के पश्चात् प्रतिवेदन जमा करने के पूर्व अनुसंधानकर्ता को Pre Submission Seminar देना होगा तथा सेमिनार में विषय-विशेषज्ञ के सुझाव के अनुरूप सुधार कर प्रतिवेदन जमा किया जा सकेगा। प्रतिवेदन का मूल्यांकन विषय-विशेषज्ञ के द्वारा किया जायेगा, जो यह रिपोर्ट देगा कि Pre Submission Seminar में दिये गये सुझाव को अनुसंधानकर्ता ने अपने शोध रिपोर्ट कार्य में सम्मिलित कर लिया है। तत्पश्चात् शोध कार्य प्रतिवेदन विश्वविद्यालय विद्या परिषद में अनुमोदनार्थ रखा जायेगा।
7. अनुसंधानकर्ता के द्वारा किये गये सभी तरह के शोध संबंधी कार्य के प्रकाशन का कॉपीराइट का अधिकार विश्वविद्यालय के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
8. शोध कार्य समापन के पश्चात् अनुसंधानकर्ता को 15 दिवस के अवधि में उसका लेखा प्रस्तुत करना होगा।
9. शोध कार्य समापन के पश्चात् अनुसंधानकर्ता को बचत राशि विश्वविद्यालय निधि में जमा करना होगा।

Risabhan
कुलसचिव

पृ.क्र. 38 / अकादमी / 2019
प्रतिलिपि:-

बिलारापुर दिनांक : 25 / 02 / 2019

1. कुलपति के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को अनुसंधानकर्ता को स्वीकृत राशि जारी करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कार्यालय प्रति।

Risabhan
कुलसचिव